

14/5/12

अभिलेख उपस्थापित। बोटिस तामिला एवं जांच प्रतिवेदन अप्राप्त अभिलेख दिनांक, 16/6/12 को रखें।

~~14/5/12~~
मु. सु. उपसमाहर्ता

16/6/12

अभिलेख उपस्थापित। जेलिस तामिला एवं जांच प्रतिवेदन अप्राप्त मु. सु. समा. दे. अभिलेख दिनांक: 27/7/12 को रखें।

~~16/6/12~~
मु. सु. उपसमाहर्ता

27/7/12

अभिलेख उपस्थापित। जेलिस तामिला एवं जांच प्रतिवेदन अंचल अधिवक्ता द्वारा के फा. नं. 292(ii) दिनांक: 27/7/12 द्वारा प्राप्त। बचान दर्ज करने की दिशि 3/8/12 को निर्धारित को अभिलेख दिनांक: 3/8/12 को रखें।

~~27/7/12~~
मु. सु. उपसमाहर्ता

3/8/12

अभिलेख उपस्थापित। उमथ फल उपरिचित विवेकता के बचान दर्ज कर फ. नं. 292(ii) तब विवेकता के हस्ताक्षर लिख गये अभिलेख दिनांक 11/8/12 को रखें।

~~3/8/12~~
मु. सु. उपसमाहर्ता

11/8/12

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिवक्ता द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं अनुसंधान के आलेख में तथा विवेकता के बचान के आधार पर होरानागपुर नालनकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत सूचि विवरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

~~11/8/12~~
मु. सु. उपसमाहर्ता